

नौकरी के नाम पर प्रधान आरक्षक ने की टगी

झांसा देकर 3 लाख रुपए एंटे

पन्ना ब्यूरो
पन्ना, 22 जुलाई. पन्ना जिले के सलेहा थाना में पूर्व में पदस्थ प्रधान आरक्षक अनिल सिंह बागरी पर एक युवक को नौकरी लगवाने का झांसा देकर 3 लाख 16 हजार 700 रुपए की टगी करने का आरोप लगा है।



फरियादी युवक प्रशांत खरे पिता हजारी लाल खरे उम्र 35 वर्ष निवासी कठवरिया की रिपोर्ट पर सलेहा थाना में आरोपी प्रधान आरक्षक के विरुद्ध बीएनएस की धारा 318 के तहत मामला दर्ज किया गया और पुलिस द्वारा इसकी जांच की जा रही है। मामले को लेकर फरियादी ने पुलिस को बताया कि आरोपी प्रधान आरक्षक द्वारा थाना सलेहा में प्राइवेट तौर पर वेतनभोगी की नौकरी लगवाने का प्रलोभन देकर उसके साथ टगी की गई है। फरियादी द्वारा ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी के स्क्रीन शॉट सहित अन्य जानकारी भी पुलिस को सौंपी गई है।

नौकरी दिलाने के लिए उससे 1 जुलाई 2024 को 76 हजार रुपए, 3 जुलाई को 24 हजार रुपए नगद मेरे घर कठवरिया में बागरी द्वारा लिए गए थे और इसके बाद अनिल बागरी के कहने पर मैंने अपनी पत्नी दिया श्रीवास्तव के खाते से दिनांक 24 अक्टूबर 2024 को 1600 रुपए, 26 अक्टूबर 2024 को 1400 रुपए, दिनांक 30 अक्टूबर 2024 को 1200 रुपए, दिनांक 05 दिसम्बर 2024 को 13 हजार रुपए चारों ट्रांजेक्शन अनिल बागरी के फोन-पे एकाउंट नंबर में तथा 18 अक्टूबर 2024 को 5 हजार रुपए प्रहलाद लोधी के फोन-पे नंबर पर 27 अक्टूबर 2024 को अमित लिक्कार्यर सलेहा टू एफएलसीएल के फोन-पे की आईडी 01 से 20 हजार रुपए एवं ट्रांजेक्शन आईडी 49 से 05 हजार रुपए एवं 22 दिसम्बर 2024 को अनुज कुमार बागरी के फोन-पे पर 13 हजार 300 रुपए, 10 हजार रुपए एवं 9 जुलाई 2024 को सुशीला तिवारी के फोन-पे नंबर पर 10 हजार रुपए, 2 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसके साथ ही अनिल बागरी के कहने पर अपनी पत्नी के खाते से 09 दिसम्बर 2024 को 12 हजार रुपए, दिनांक 10 दिसम्बर 2024 को 18 हजार रुपए, दिनांक 18 दिसम्बर 2024 को 5 हजार रुपए, दिनांक 20 दिसम्बर 2024 को 15 हजार रुपए, दिनांक 22 दिसम्बर 2024 को 13 हजार रुपए, 10 हजार रुपए, 27 दिसम्बर को 25 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। जो सातों ट्रांजेक्शन किस खाते में ट्रांसफर हुए यह मेरे फोन-पे नंबर से ज्ञात नहीं हो रहा है। इसके साथ मैंने अपने स्टेट बैंक के खाता से दिनांक 08 जुलाई 2024 को विरेन्द्र राव जेटी के फोन ट्रांजेक्शन आईडी से 03 हजार रुपए दिनांक 31 अक्टूबर 2024 को 2500 रुपए, दिनांक 01 नवम्बर 2024 को 10 हजार रुपए, दिनांक 01 जनवरी 2025 को 10 हजार रुपए, दिनांक 01 अप्रैल 2025 को 01 हजार रुपए श्री बागरी के कहने पर ट्रांसफर किए गए। किस खाता क्रमांक में ट्रांसफर हुए हे यह मुझे ज्ञात नहीं है।

गवांलियर. गंगादास की शाला पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। मप्र शासन ने वर्ष 2010 में बाद पेश किया। इसमें शासन (माफी) की जमीन के बेचने पर रोक लगाने, पूर्व में संपादित हुए विक्रय पत्र शून्य घोषित करने सहित विभिन्न मांग की गई। इसके खिलाफ ट्रस्ट मंदिर रामजानकी गंगादास की बड़ी शाला ने एक आवेदन दिया। जिसे सिविल न्यायालय ने 25 अप्रैल 2011 को खारिज कर दिया। इसके खिलाफ ट्रस्ट ने हाई कोर्ट में सिविल रिवीजन पेश की। 7 मई 2011 को हाई कोर्ट ने सिविल न्यायालय में चल रहे बाद की सुनवाई पर रोक लगा दी। 14 साल स्टे के बाद जब केस की सुनवाई हुई, तो ट्रस्ट की ओर से सिविल रिवीजन वापस लेने की बात कही गई।

फर्जी प्रोफाइल के जालसाज गिरफ्तार

पुलिस को बड़ी सफलता, आरोपी अजमेर राजस्थान का निवासी

मंदसौर, 22 जुलाई. थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने मेट्रोमोनियल वेबसाइट जीवनसाथी डॉट कॉम पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर शादी का झांसा देकर 2.66 लाख की टगी करने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। आरोपी रमणिक लाल वर्मा (34), निवासी अजमेर राजस्थान, को चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने जनवरी से जून 2025 के बीच फरियादी से कई बार अलग-अलग बहानों में रुपया देते रहे। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी की माता उषा वर्मा और जीजा कमलेश सोनी भी इस टगी में शामिल हैं, जो



फिलहाल फरार हैं। आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में 15 से 20 लड़कियों से टगी की बात कबूली है। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 मोबाइल फोन (कीमत 1.5 लाख) और 1 लैपटॉप (कीमत 65 हजार) बरामद किया है। जस माल का

कुल मूल्य-2.15 लाख। पुलिस टीम में शामिल निरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, उनि कुलदीप सिंह राठौड़, साइबर सेल के आशीष बैरागी, मनीष बघेल, नरेंद्र, भानुप्रताप एवं शैलेंद्र की भूमिका सराहनीय रही।

अंतर्राज्यीय दोपहिया वाहन चोर गिरोह को पुलिस ने दबाचा

चोरों से 15 बाइक और 10 लाख का मशरूका जब्त

मंदसौर. थाना शामगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय दोपहिया वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 15 चोरी की मोटरसाइकिलें जब्त की हैं, जिनकी कुल कीमत 10 लाख आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपियों में एलकार सिंह, राहुल सिंह (पुत्र गुमान सिंह) और राहुल सिंह उर्फ कालू (पुत्र तुफान सिंह) शामिल हैं, जो जिला झालावाड़ (राजस्थान) के निवासी हैं। इनके पास से 15 बाइक के साथ 10 लीटर जहरीली शराब भी जब्त की गई। चोरी की गई बाइकें शामगढ़, गरोट, भानपुरा, सुवासरा, भेसोदा मंडी, आलोटा, चोमहला,



भवानीमंडी व डग क्षेत्रों से लाई गई थीं। घटना का खुलासा 150 से अधिक छद्मकर्म केमरे खंगालने, सायबर सेल की तकनीकी सहायता और मुखबिर की सूचना से हुआ। अब तक चार वाहन शांमगढ़ थाने में पंजीबद्ध, एक-एक वाहन गरोट, डग व भवानीमंडी थानों के प्रकरण से जुड़े पाए गए हैं। शेष वाहनों की तस्दीक व अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस टीम में निरीक्षक धर्मेन्द्र शिवहरे, उनि अविनाश सोनी, सडिन राजेश खांदल सहित आरक्षक धनपाल, इरफान, विशाल, मनीष, मोकम, सुल्तान आदि की सराहनीय भूमिका रही।

करोड़ों की जमीन की सुनवाई से स्टे हटा

गवांलियर. गंगादास की शाला पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। मप्र शासन ने वर्ष 2010 में बाद पेश किया। इसमें शासन (माफी) की जमीन के बेचने पर रोक लगाने, पूर्व में संपादित हुए विक्रय पत्र शून्य घोषित करने सहित विभिन्न मांग की गई। इसके खिलाफ ट्रस्ट मंदिर रामजानकी गंगादास की बड़ी शाला ने एक आवेदन दिया। जिसे सिविल न्यायालय ने 25 अप्रैल 2011 को खारिज कर दिया। इसके खिलाफ ट्रस्ट ने हाई कोर्ट में सिविल रिवीजन पेश की। 7 मई 2011 को हाई कोर्ट ने सिविल न्यायालय में चल रहे बाद की सुनवाई पर रोक लगा दी। 14 साल स्टे के बाद जब केस की सुनवाई हुई, तो ट्रस्ट की ओर से सिविल रिवीजन वापस लेने की बात कही गई।

गर्भगृह में जाने की अनुमति गोलू शुक्ला व उनके बेटे को नहीं दी

नवभारत न्यूज उज्जैन. श्रावण के दूसरे सोमवार को रात 2.30 बजे हुई भस्मराती में गर्भगृह में घुसे इंद्रौर के भाजपा विधायक गोलू शुक्ला और उनके बेटे रुद्राक्ष के मामले में मंगलवार को मंदिर समिति के उप प्रशासक एसएन सोनी ने कहा कि विधायक गोलू व उनके बेटे रुद्राक्ष शुक्ला किसी को भी गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं दी थी। मामले ने तूल पकड़ा तो कलेक्टर ने तीन सदस्यीय समिति बनाकर 7 दिनों में जांच कर रिपोर्ट देने को कहा। गर्भगृह में आम प्रवेश बंद है इसके बावजूद गोलू शुक्ला व उनका बेटा अंदर गया व पूजा भी की। यहाँ तक की मंदिर समिति कर्मचारी ने उन्हें रोका भी लेकिन वे उसे भी धमकी देकर अंदर घुसे। मीडिया ने जब विधायक शुक्ला से पूछा तो उन्होंने कहा था कि गर्भगृह में जाने की पांच लोगों को अनुमति मिली थी। जबकि मंगलवार को मंदिर समिति के अधिकारी ने इससे इनकार किया। श्रावण में महाकाल की पहली सवारी में नई चांदी की पालकी निकली थी। लेकिन वह 200 किलो तक वजनी होने के कारण दूसरी सवारी में फिर से पुरानी पालकी का ही उपयोग किया गया।

बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास

झाबुआ. बलात्कार के मामले में आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। घटना के विवरण में बताया गया कि 16 मार्च 2021 को फरियादी, पीड़िता के माता-पिता कोर्ट पेशी झाबुआ गये थे, करीबन 5 बजे शाम को वापस घर आये तो पीड़िता घर पर नहीं मिली। फिर उन्होंने पीड़िता की तलाश रिश्तेदारी व आसपास की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उन्हें शंका हुई की उसकी नाबालिग लड़की पीड़िता 17 वर्ष की रोहित पिता केतरूस बबेरिया निवासी-राणापुर का बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया था। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना झाबुआ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

छात्रावास में बच्चों की तबीयत बिगड़ी

20 बच्चे बीमार, 8 अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर
इंदौर, 22 जुलाई. महु आदिवासी छात्रावास में अचानक बच्चों के तबियत बिगड़ गई. करीब 20 बच्चों बीमार हो गए हैं, जिसमें 8 को सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है. बच्चों की डॉक्टर सतत निगरानी कर रहे हैं. खास बात यह है कि कलेक्टर ने तीन पहले ही छात्रावासों की जांच और निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे. मंगलवार को महु के आदिवासी छात्रावास के 20 से ज्यादा बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई. बताया जा रहा है कि भोजन और पानी में गड़बड़ के कारण बच्चों की तबियत बिगड़ी है. मामले की जानकारी मिलते ही कलेक्टर आशीष सिंह ने एसडीएम को मौके पर भेजा. एसडीएम राकेश परमार ने तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचकर सभी बच्चों से बातचीत कर इलाज की जानकारी ली. उन्होंने अस्पताल में डॉक्टर से बात कर बच्चों के तुरंत इलाज और दवाइयों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए. एसडीएम परमार ने बताया कि कुल 20 बच्चों की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली थी. बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद 12 बच्चों की स्थिति सामान्य होने पर उन्हें वापस छात्रावास में भेज दिया है. शेष 8 अभी अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं. उनकी हालत स्थिर है. बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर छात्रावास की जांच की करवाई जारी है.

चोरी की बिजली से बना रहे थे खाना विद्युत विभाग की दर्जन भर घरों में कार्रवाई, मौके पर हीटर जब्त

नवभारत, न्यूज दमोह, 22 जुलाई. विद्युत विभाग द्वारा दमोह दक्षिण संभाग अंतर्गत आने वाले ग्रामीण वितरण केंद्र के ग्रामों में बिजली चोरी रोकने सघन चैकिंग अभियान चलाया गया. कार्यपालन अभियंता एमएल साहू के निर्देशन में कनिष्ठ अभियंता सरिता रावत के नेतृत्व में टीम तैयार कर ग्रामीण वितरण केंद्र अंतर्गत आने वाले ग्राम हथिनी, भुरि, जोरतला, बडयाड आदि क्षेत्रों में छापाकार कार्यवाही की गई. इस दौरान अनेक घरों में अवैध रूप से बिजली की चोरी कर हीटर के द्वारा खाना पकाया जा रहा था. विभाग की टीम द्वारा मौके से

एक दर्जन से अधिक घरों में चोरी की बिजली से चलने वाले हीटरों को जब्त करते हुए पंचनामा बनाकर प्रकरण तैयार किया गया. इस दौरान कई उपभोक्ताओं द्वारा अपने घरों से हीटरों को हटाने में लग गये. यादव ने बताया गया कि इन सभी ग्रामों से अनावश्यक लोड बढ़ने, केबिल जलने, ट्रांसफार्मर खराब होने तथा डीओ गिरने आदि की शिकायतों में एकाएक वृद्धि होने से कार्यपालन अभियंता के निर्देशन में विशेष टीम तैयार कर इन ग्रामों में चैकिंग कराई गई. हकीकत जानने के लिये जब मौके पर जाकर मुआयना किया गया तो बिजली चोरी सामने आई. जिन घरों में बिजली चोरी पाई

चैकिंग के दौरान पाया गया की घरों में असुरक्षित तरीके से हीटर और नंगे वायर लगाकर लोग चंद पैसे बचाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं. आए दिन घरेलू असुरक्षित वायरिंग से घातक बिजली की दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं. जहां पर दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में कनिष्ठ अभियंता कुमारी सरिता रावत ने लोगों को समझाई भी दी गई. गई, वहां विद्युत चोरी की धारा 135 के तहत प्रकरण बनाकर जपती की कार्यवाही की गई. इस प्रकार की चैकिंग कार्यवाही सतत जारी रहेगी.

खंडहरनुमा मकान से 6 लाख रुपए की शराब

रतलाम. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिले ग्राम में एक खंडहरनुमा मकान में लाखों की शराब जब्त की है. मामले में दो सगे भाई को गिरफ्तार किया है वहीं तीन आरोपी फरार हैं. पुलिस ने नामली थाना क्षेत्र के रिगनिया गांव में खंडहरनुमा मकान पर दबिश तो 6 लाख रुपए से अधिक की शराब की पेटियां मिली, जिनमें देशी प्लेन शराब 132 पेटे, देशी मसाला शराब 10 पेटे, अंग्रेजी शराब एक डबलैस 3 पेटे, अंग्रेजी शराब ब्लेण्डर प्राइड 1 पेटे, एवं बीयर पॉवर (10,000) 06 पेटे थी. कुल 152 पेटे अवैध शराब जब्त की गई जो 1386 बल्क लीटर है. थाना नामली के निरीक्षक पतिराम डावरे के नेतृत्व में टीम गठित की गई.

कार्यक्रम अधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार

पशु शोड स्वीकृति के एवज में मांगी थी रिश्त, लोकायुक्त ने पकड़

इंदौर 22 जुलाई. लोकायुक्त संगठन द्वारा भ्रष्टाचार पर लगातम कसने के क्रम में मंगलवार को इंदौर लोकायुक्त इकाई ने जनपद पंचायत पाटी, जिला बड़वानी में पदस्थ अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी को 5000 की रिश्त लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया. आरोपी मंगल सिंह डाबर को यह रकम पशु शोड निर्माण की स्वीकृति दिलाने के एवज में हितग्राही से मांगते हुए पकड़ा. महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख द्वारा प्रदेश में

कार्रवाई में शामिल ट्रैप दल
इस सफल ट्रैप कार्रवाई का नेतृत्व कार्यवाहक निरीक्षक प्रतिभा तोमर ने किया. उनके साथ आरक्षक विजय कुमार, सतीश यादव, आदित्य सिंह भदौरिया, चंद्र मोहन सिंह बिह, मनीष माथुर और पवन पटौरिया शामिल थे. लोकायुक्त संगठन ने साफ संकेत दिया है कि जनहित की योजनाओं में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी. तहत पशु शोड निर्माण हेतु आवेदन दिया था. आवेदन ग्राम पंचायत से जनपद पंचायत पाटी भेजा गया, जहां पदस्थ अधिकारी मंगल सिंह डाबर ने कार्य स्वीकृति के बदले 5000 की रिश्त की मांग की. जैसे ही आरोपी ने रिश्त की राशि स्वीकार की, टीम ने उसे रंगेहाथ पकड़ लिया.

एक हजार की रिश्त लेते ग्राम सचिव गिरफ्तार

रीवा. लोकायुक्त पुलिस रीवा ने ग्राम पंचायत सचिव को एक हजार रुपये की रिश्त लेते हुए गिरफ्तार किया है. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में 15 सौ रुपये की रिश्त मांगी गई थी. आरोपी सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है. शहडोल जिले के गोहपारु जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत गोहपारु सचिव द्वारा शिकायतकर्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में 15 सौ रुपये की रिश्त मांगी गई थी. शिकायतकर्ता धीरेन्द्र कुमार सिंह निवासी ग्राम टेटकी द्वारा दुकान में विद्युत मीटर लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग ग्राम पंचायत सचिव से की थी.

जिला प्रबंधक ने किया लाखों का गबन

घोटेलेबाजों के खिलाफ केस दर्ज कराने की उठी मांग

नवभारत न्यूज सिंगरौली 22 जुलाई. ग्रामीण निर्धन एवं बेसहारा महिलाओं को आत्मनिर्भर और सर्वाधिकारण बनाने के केन्द्र व राज्य सरकार के प्रयासों और करोड़ों रुपये के बजट पर जिले के जिला पंचायत और ग्रामीण आजीविका मिशन के जिम्मेदारों द्वारा बजट में डाका डाला जा रहा है जिससे जिम्मेदार लोग म.प्र. डे ग्रामीण आजीविका मिशन के उद्देश्यों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं. ग्रामीण महिलाओं ने सीईओ से भ्रष्टाचार व राशि में बंदरबाट करने वाले के खिलाफ आर्थिक अनियमितता का अपराधिक मामला दर्ज कराये

जाने एवं निष्पक्ष जांच की मांग की है. जानकारी के अनुसार म.प्र. डे ग्रामीण आजीविका मिशन का जिला प्रबंधक व चितरंगी का प्रभारी नोडल, ब्लॉक प्रबंधक के खिलाफ चितरंगी की विभिन्न समूहों की सदस्यों द्वारा गत दिनों मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भोपाल को लिखित शिकायत करते हुए बताया गया है कि जिला प्रबंधक मंगलेश सिंह व चितरंगी ब्लॉक में संसार सिंह लम्बे अर्से से पदस्थ सहायक ब्लॉक प्रबंधक म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में पदस्थ हैं जिनके द्वारा मां सावित्री बूढ़े सीएलएए नैकहवा में करोड़ों रुपये का घोटेला किय गया है और ग्राम संगठनों को दी जाने वाली राशि को भी दूसरो के खाते में डलवाकर हड़पी जा रही है. नोडल अधिकारी संजीव सिंह पटेल और सहायक प्रबंधक संसार सिंह द्वारा विभिन्न ग्राम संगठनों और दीर्घियों के मानदेय में भी हेराफेरी कर डकार लीं गयी है. भूसा घर में सड़ रही कोदो कुटकी मशीन : महिला समूहों की दीर्घियों और ग्राम संगठनों ने दावा किया है कि नोडल अधिकारी संजीव सिंह पटेल और सहायक प्रबंधक संसार सिंह की दबंगई से कोदो कुटकी की मशीन भूसा घर में सड़ रही है। बरगवा में कोदो कुटकी की मशीन क्रय करने के नाम से 17 लाख का घोटेला किया है जबकि मशीन लगाने पर्याप्त बजट भी आया था। इस राशि के सम्बन्ध में जब महिलाओं व दीर्घियों के द्वारा कुछ पूछा जाता है तो संसार सिंह के द्वारा गाली-गलौज कर डाट के भगा दिया जाता है।

ट्रांसपोर्ट रतलाम मंडल से मणिपुर के खोंगसांग स्टेशन के लिए बुकिंग

पहली बार फर्टिलाइजर रैक की लोडिंग

रतलाम, 22 जुलाई. पश्चिम रेलवे का रतलाम मंडल माल ड्रुलाई के क्षेत्र में नए अवसरों की खोज और राजस्व वृद्धि के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. इसी दिशा में मंडल की बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट द्वारा स्थानीय व्यापारियों और व्यवसायियों से निरंतर संचाद स्थापित किया जा रहा है. इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम स्वरूप मंडल ने फर्टिलाइजर लोडिंग के लिए एक नया डेस्टिनेशन जोड़ा है. रतलाम मंडल के किसी



भी गुड्स शोड से मणिपुर के लिए यह पहली लोडिंग है. सनावद गुड्स शोड से मणिपुर के खोंगसांग स्टेशन के लिए 21 बीसीएन बैगनों में कुल 1344 टन फर्टिलाइजर की

खोंगसांग स्टेशन जुलाई 2023 में माल यातायात के लिए चालू किया गया. मणिपुर के लिए की गई यह पहली लोडिंग रेलवे के राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ व्यापारिक संपर्कों के विस्तार में भी सहायक होगी. पूर्वोत्तर के राज्य के साथ माल परिवहन के नए रास्ते खुलने से मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण राज्य में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी. साथ ही यह पहल रेलवे अधीसंरचना के और अधिक विकास में भी सहायक सिद्ध होगी. लोडिंग की गई है, जिससे रेलवे को लगभग 40 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ. यह रैक करीब 2535 किलोमीटर की दूरी तय कर खोंगसांग स्टेशन तक पहुंचेगा. पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (ह.न.क्र.) ने राज्य के सामने आने वाले परिवहन संकट में सहायता के लिए आवश्यक वस्तुओं की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए मणिपुर में खोंगसांग स्टेशन खोला था. 2022 में जिरौबाम-इम्फाल नई लाइन परियोजना के तहत शुरू किया गया.

आरक्षकों की अभिरक्षा से भागा आरोपी

भानपुरा. थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में पकड़ाए आरोपीयो को मेडिकल कराने गए दो आरक्षक रामचंद्र मंडोतिया और दिनेश मेघवाल की अभिरक्षा से चकमा देकर एक आरोपी भाग गया. जानकारी अनुसार आरोपी राम सिंह पिता करण सिंह गुर्जर उम्र 21 वर्ष एवं राकेश पिता कैलाश चंद्र धोबी उम्र 20 वर्ष जिनको भानपुरा शासकीय चिकित्सालय में मेडिकल कराने के लिए ले गए थे. मेडिकल कराने के दौरान अंदर ले जाते समय आरक्षकों की अभिरक्षा से राम सिंह पिता करण सिंह गुर्जर निवासी 21 वर्ष पुलिस को चकमा देकर भाग गया जो की लगातार स्टाफ की एक घंटे की मशकत के बाद पकड़ाया.

शिवपुरी नपा में बिना काम के 28 लाख का भुगतान

शिवपुरी. नगर पालिका में करोड़ों रुपए के फर्जी भुगतान का मामला सामने आया है. नगर पालिका के वार्डों में मुरम, जीरो डस्ट और कचल डालने के नाम पर लाखों रुपए का भुगतान कर दिया गया जबकि पाषण्डों का कहना है कि जमीनी स्तर पर कोई कार्य हुआ ही नहीं. नगर पालिका के पाषण्डों ने कलेक्टर पहुंचकर कलेक्टर को विस्तृत शिकायत सौंपते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. शिकायत में बताया गया कि ठेकेदार द्वारा वार्ड क्रमांक 1, 5, 7, 17, 28, 31, 36 और 39 में मुरम और जीरो डस्ट डालने का दावा कर लगभग 28 लाख रुपए का भुगतान ले लिया गया. इनमें से वार्ड 7 में 13.78 लाख रुपए, वार्ड 17 में 4.45 लाख रुपए, वार्ड 5 और 36 में 5 लाख रुपए, वार्ड 31 में 2.5 लाख रुपए और वार्ड 39 में 2.45 लाख रुपए का भुगतान दर्शाया गया है. पाषण्डों का आरोप है कि इन क्षेत्रों में कोई कार्य नहीं हुआ, फिर भी बिना भौतिक सत्यापन के भुगतान जारी कर दिए गए. आपत्ति जातने के बाद कुछ स्थानों पर जलदबाजी में काम शुरू किया गया, लेकिन सीएमओ ने खुद को इस मामले से अनभिज्ञ बताया.